XXX-a BR H-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर. 173/95

जिला – देवास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09.02.15	इस प्रकरण में दिनांक 20.06.95 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः आवेदक अभि. की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम0के0 सिंह) सदस्य	

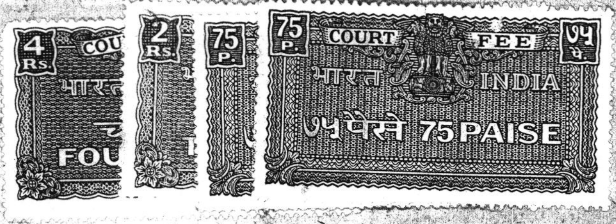

C.F.Rs. 7.50

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर {म.प्र.}
==

TRN/127/A/1713/05

इकबाल एहमद, इरशाद एहमद, सलीम एहमद,
सईद एहमद, इम्तियाज एहमद, बिलकिश बेगम,
पुत्रगण एवं पुत्री करीब एहमद कुरेशी, हसनैन पिता
उस्मान खाँ, नासिर अली पिता मुनव्वर अली
समस्त निवासीगण 91, सरदार पटेल मार्ग ----- प्रार्थीगण
देवास म.प्र.

R.L. 1360
25-2-95

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
देवास {रेवेन्यू} ----- प्रतिप्रार्थी

25-2-95

निगरानी अर्ज धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 के
- -

माननीय महोदय,

न्यायालय आयुक्त महोदय, उज्जैन के द्वारा प्रार्थीगण की द्वितीय अपील क्रमांक 7/92-93 में दिनांक 7.12.94 को निरस्त कर दिया, तथा अवैधानिक कारणों पर निर्णय होने से यह निगरानी अवधि के अंदर प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण देवास जिले का है, इस कारण निगरानी देवास कलेक्टोरेट महोदय के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण का संक्षिप्त में स्वरूप इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवास के न्यायालय में अपने स्वामित्व की कृषि भूमि स्थित देवास सीनियर की सर्वे नम्बर 360/3 रकबा 2 एकड़ में आवास प्रयोजनार्थ आवश्यकतानुसार कृषि भिन्न आशय में परिवर्तित किये जाने बाबद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका विचारण प्रकरण क्रमांक 50-अ-2/86-87 से किया जाकर दिनांक 18.1.91 को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया जाकर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का परिवर्तन किया जाकर भू-भाटक प्रीमीयम लगाई गई, तथा कुछ शर्तें गलत तरीके से लगाई गई, जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील कलेक्टर महोदय, तथा द्वितीय अपील आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसमें निवेदन किया गया था कि

---2